असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 नवम्बर, 2017

टर्न–7/अशोक/28.11.17

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : आज दिनांक 28.11.2017 के लिए माननीय सदस्यगण सर्वश्री सत्यदेव राम, ललित कुमार यादव एवं रामदेव राय से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं । आज सदन में राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों राज्य में कई घोटाले प्रकाश में आये हैं, शौचालय घोटाला, बॉध घोटाला, सृजन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, सहायक प्राध्यापक बहाली घोटाला, प्रधान मंत्री आवास योजना घोटाला, किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, चावल घोटाला, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में घोटाला, धान खरीद घोटाला, बोड़ा घोटाला आदि प्रमुख हैं, इन घोटालों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, सरकार इन सारे घोटालों पर आंख मुंद कर के बैठी हुई है और प्रभावी कदम नहीं उठा रही है । इससे प्रतीत होता है कि सरकार घोटालेवाजों को अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान कर रही है जिससे सरकार की नीति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है महोदय । इतना बड़ा, घोटाला पर घोटाला हो रहा है और इससे बड़ा जनहित का मामला क्या होगा जब राज्य के खजाने को लूटा जा रहा हो ।

अध्यक्ष : अब शून्य–काल होने दीजिये । आप ही सदस्यों की शून्य–काल की सूचना है । अब शून्य काल । डा0 शमीम अहमद ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : महोदय, इसमें मेरी राय होगी कि इस पर विचार करके इसको एक्सेप्ट किया जाय क्योंकि प्रश्न काल हो या आपका शून्य काल हो महोदय, बिहार के विकास पर चर्चा होती है, इन सारे चीजों पर जो खामियां होती हैं उन पर चर्चा होती है और जब सरकार का खजाना इसी प्रकार से लूटाया जायेगा, तो कोई भी विकास कार्य के लिए जरूरी है पैसा, जब जनता का पैसा इस तरह से भ्रष्टाचारी चुरा करके, स्कैम करके घोटाला करे तो इम्पलिमेंटेशन तो जीरो है, तो कोई भी विकास पर चर्चा के पहले, घोटाले इतने जो उजागर हो रहे हैं, जब से इनकी चार महीने की सरकार है और लगातार एक के बाद एक घोटाला है, ऐसा लग रहा है कि सेल में घोटाला हो गया है, एक घोटाला करने वाले को दो–दो, तीन–तीन घोटाला करने की छूट है, और जो नैतिक जिम्मेवारी बनती है सरकार की अब बिहार में मुख्यमंत्रीजी को बिहार के विकास पुरूष के नाम से नहीं बल्कि भीष्म पितामह नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह उसके नाम से जाने जा रहे हैं । बिहार जो हैं महोदय वह घोटालों के प्रदेश से जाना जा रहा है । शौचालय घोटाला

के बाद बॉध घोटाला, एल.ई.डी. घोटाला, प्रोफेसर, लेक्चरर घोटाला और अभी सदन के अंदर एक और घोटाला का उजागर हुआ, जिसको हमलोगों को जांच करानी चाहिए । तो इस पर सरकार का क्या जवाब है ? बिहार की जनता अखबार खोलती है, टी.वी. खोलती है तो एक ही चीज का इंतजार रहता है कि अगला कौन सा घोटाला आ रहा है ? तो इस पर कोई गंभीरता सरकार की ओर से नहीं दिख रहा हैं तो लगातार एक सौ करोड़ की बात नहीं है, एक हजार करोड़ की बात है और इसमें छोटे-छोटे लोगों को, कर्मचारियों को, नीचे के लेवेल के लोगों को फंसाया जा रहा है, आज तक कितने मंत्री और बड़े अधिकारी, प्रधान सचिव के लेवेल तक के कितने पर कार्रवाई हुई, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ । नीतीश जी के शासनकाल में, 12 से 13 साल में कितने घोटाले हुये और इन पर क्या कार्रवाई हुई ? सरकार को उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष : नेता, प्रतिपक्ष, हम बतलाते हैं ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इतने घोटाले का जिक्र किया, इनको तो बेनामी सम्पत्ति के बारे में बतलाना चाहिए, एक हजार करोड़ की जो बेनामी सम्पत्ति का मामला है जिस पर सी.बी.आई. की जांच चल रही है, इसके बारे में भी बतलाना चाहिए कि आखिर इतने कम उम्र में, 28 साल के उम्र में 28 सम्पत्ति के मालिक कैसे बन गये, हजारों करोड़ से ज्यादा की बेनामी सम्पत्ति कैसे इकट्ठा कर ली इसके बारे में बिहार की जनता को बतलाना चाहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल : एकदम बतायेंगे, एकदम बतायेंगे । कभी मुख्यमंत्री जी बच्चा कहते हैं, कभी हमको भ्रष्टचारी बता रहे हैं, तो इनका यही मानसिकता है कि जब 13-14 साल के उम्र में भी लोग भ्रष्टाचार किया, हम तो पूछना चाहते हैं कि दो साल-डेढ़ साल जब भी हम मंत्री रहे, तीन-तीन डिपार्टमेंट रहा, जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद पर हम बैठे, हमने कौन सा गलत काम किया, कोई जवाब है आपके पास, कौन सा भ्रष्टाचार किया हमने, (व्यवधान) एक मिनट, नाम की चीजों को बेनामी बनाकर के झूठा-झूठा केस, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुआ सुशील कुमार मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के केस में, मर्डर के केस में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और जुर्माना भी 20 हजार का, जुर्माना भी पटियाला कोर्ट के लोगों ने देने का काम किया है । आपके भाई, आपकी बहन रेखा मोदी जी का सृजन घोटाला में नाम आया है । आपके भाई आशियाना डेवलपर्स .....(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : आप सफाई दे दिये होते तो आज इसी कुर्सी पर बैठे हुये रहते, आपने तो सफाई नहीं दी । 28 साल की उम्र में एक हजार करोड़ की सम्पत्ति के मालिक बने ।

अध्यक्ष : अब शून्य-काल होने दीजिये । शून्य-काल ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : आप चार्जशीट की बात कह रहे हैं तो इंतजार कीजिये बहुत जल्द चार्जशीट भी फाईल हो जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्य-काल । डा0 शमीम अहमद । अब शून्य-काल होने दीजिए, आप ही के मेम्बर हैं । नेता, प्रतिपक्ष, आपने तो अपनी बात कह दी । अब डा0 शमीम अहमद, शून्य-काल । शीघ्र सूचना पढ़े ।

डा0 शमीम अहमद : महोदय,पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी से लखौरा होते हुये छोड़ादानों PWD कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के मिलीभगत के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। दोषी पर कार्रवाई करते हुये शीघ्र उक्त सड़क का मरम्मत कराया जाय ।

श्री फैसल रहमान : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी वार्ड नं0-04 के निवासी संजीव कुमार जायसवाल उर्फ छोटू जायसवाल की 25/11/2017 को गोली मार कर हत्या कर दी गई । नगर थाना मोतिहारी में थाना काण्ड संख्या-838/17 दर्ज है । छोटू जायसवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, बिहार राज्य एएनएम(आर) संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर सेवा के नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर नर्सों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, लेकिन सरकार इसे लगातार अनसुना कर रही है, उनकी मांगों को अविलम्ब पूरा करने की मांग करते हैं ।

श्री महबूब आलम : पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में आनाकानी कर रही है । सदन के माध्यम से नियोजित शिक्षकों सहित सभी ठेकाकर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड बिहपुर के ग्राम झंडापुर में तीन महादलितों की अपराधियों द्वारा नृशंस हत्या एवं एक बच्ची, जो घायल है, मेडिकल कॉलेज, पटना में जीवन-मौत से जूझ रही है।

अतः पीड़ित परिवार को बीस लाख मुआवजा, डी.एम., एस.पी.की मुअत्तली और अपराधियों की गिरफ्तारी की माँग करता हूँ ।

मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, दिनांक 12.11.2017 को सिवान जिला के तरवारा थाना जी.वी. नगर अतर्गत माधोपुर जलालपुर रोड पर गोपालगंज जिला के वरेली प्रखण्ड के मथुरापुर के दो अनूसूचित जाति के (1) स्वर्गीय विजय कुमार राम पुत्र श्री जंगलाल राम (2) स्वर्गीय संदीप कुमार राम पुत्र श्री नारायण राम को तेज रफ्तार ट्रक से कुचल देने से स्थल पर ही मृत्यु हो गई ।

मैं मृतक के आश्रितों को चार-चार लाख रूपया दिलाने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : बिहार से बाहर अन्य राज्यों में पढ़नेवाले छात्रों के साथ स्थानीय राज्य के छात्रों द्वारा मारपीट की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गयी हैं । बाहर पढ़नेवाले छात्र भयाक्रांत हैं ।

अतः राज्य से बाहर पढ़नेवाले छात्रों को सुरक्षा हेतु सरकार समुचित पहल करे।

टर्न-8/ज्योति/28-11-2017

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला में नाबार्ड योजनान्तर्गत प्रस्तावित आर.ई.ओ. का पुल जिसका चेक लिस्ट पत्रांक 1483 अनुलग्नक, कटिहार दिनाँक 30-11-16 को ही तैयार कर लिया गया था परन्तु कोई काम नहीं हो पाया जिसके कारण आम जनों को काफी कठिनाईयाँ हैं ।

डा0 विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड में अमारुत महकम पुर के पास निलाजन नदी में पुल निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे पुल का सम्पर्क पथ का कार्य बाधित है । आम जनों को काफी कठिनाई हो रही है जनहित में अविलंब सम्पर्क पथ का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार विभूति डा0 अनुग्रह नारायण सिंह की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि औरंगाबाद में डा0 अनुग्रह नारायण विश्वविद्यालय खोलने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, दैनिक जागरण 24-11-17, औरंगाबाद संस्करण में शीर्षक ''धरातल परियोजना में ही खा गए लाखों रुपये''- औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के कई पंचायत सचिवों द्वारा करोड़ों का गबन का मामला प्रकाश में आया है अतः आग्रह है कि जाँच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, प्रदेश के स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । 230 दिन देरी हुई है इस सत्र में किताब पहुंचाने में और इसके बावजूद बिना पढ़े लड़के अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए हुए हैं और अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं । सरकार की इस लापरवाही की जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए और इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराते हुए समय पर किताब मुहैय्या कराने की व्यवस्था की जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के गौसाघाट एवं जीवछघाट पर प्रति वर्ष पूरे राज्य एवं पड़ोसी देश नेपाल से लाखों श्रद्धालू माघी मेला में आते हैं । दोनों घाटों का पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया है दोनों घाटों को पर्यटन स्थल घोषित करने की मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

(माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी-अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है जिसतरह से विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में .....

अध्यक्ष : यह सदन का मामला नहीं है ।

सर्वश्री अब्दुल बारी सिद्धिकी,चन्द्रिका राय एवं अन्य पॉच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है । 81 प्रतिशत विद्यालयों में निर्धारित मापदंड के अनुरुप शिक्षक नहीं है जिसका कुप्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है । सरकारी आंकड़े के अनुसार शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:57 है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 1:30 एवं माध्यमिक विद्यालयों में 1:35 होना चाहिए। दूसरी तरफ 2011 में T.E.T. उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थी नियुिक्ति के लिए प्रतिक्षारत हैं जिनकी नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है ।

अत: छात्र एवं शिक्षा के हित में T.E.T. 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के अनुरुप शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:52 है । प्रारम्भिक विद्यालयों में औसत उपस्थित 62 से 65 प्रतिशत रहती है इसप्रकार औसत उपस्थिति के आधार पर शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:38 है औसत उपस्थिति के आधार पर शिक्षक एवं छात्र का अनुपात निर्धारित मानक के अनुरुप है । कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अनुपात में अधिक और कुछ विद्यालयों में कुछ शिक्षकों की संख्या अनुपात में कम है शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को निर्देश दिया गया है कि नियोजन इकाई अंतर्गत मानक शिक्षक-छात्र के अनुपात के अनुरुप शिक्षकों का समायोजन किया जाय । जिलों में इस निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है । इस क्रम में यह भी सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. 22199/2013 एवं संलग्न वादों में दिनॉक 31-10-17 द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत संगत नियोजन नियमावली के नियोजन से संबंधित प्रक्रिया को रेड डाउन कर दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. में जा रहा है एवं सर्वोच्च न्यायालय से जैसा निर्देश प्राप्त होगा तद्नुरुप कार्रवाई की जायेगी । तत्काल उपरोक्त कारणों से शिक्षक नियोजन की अगेकतर कार्रवाई करने में विधिक कठिनाई है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से, जो मूल थ्रस्ट है हमारे ध्यानाकर्षण का, मैं उसपर ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि 2011 में T.E.T. के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी